



स्कूल शिक्षा वभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नःशुल्क बीमा योजना के लयि समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को हरयिणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थति में स्कूल शिक्षा वभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ नःशुल्क बीमा योजना के लयि समझौता ज्ञापन करार कयि गया ।

प्रमुख बदि

- समझौता ज्ञापन के तहत यद कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरति करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मलेंगे, जसिमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है ।
- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया क एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 वदियालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लयि भी समझौता कयि गया है ।
- स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया क स्कूल शिक्षा वभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू कयि गया है । यह एक स्वैच्छकि योजना है जसिमें कर्मचारी यद अपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मलेंगा ।
- यद किसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशकि/पूर्ण रूप से दवियांग हो जाता है तो ऐसी स्थति में उसे 50 लाख रुपए का नःशुल्क बीमा मलेंगा ।
- स्थायी कुल दवियांगता, स्थायी और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थायी नुकसान, दोनों आंखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, एक आंख और एक अंग की स्थायी कुल हानि, बोलने की स्थायी कुल हानि, नचिले जबड़े का पूर्ण नषिकासन और मैस्टिकेशन का स्थायी कुल नुकसान की स्थति में 100 प्रतिशत दावा कयि जाएगा ।
- इसके अतरिकित-
 - पूर्णकालकि सहायता के बिना जीवन के लयि आवश्यक दैनिक गतिविधियों, दोनों कानों से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 75 प्रतिशत,
 - एक अंग का स्थायी कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत,
 - एक आंख की दृष्टि की स्थायी कुल हानि पर 50 प्रतिशत,
 - एक कान से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 15 प्रतिशत,
 - एक आंख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत,
 - किसी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत,
 - किसी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत,
 - किसी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थायी कुल हानि कर्मशः दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत,
 - किसी भी हाथ की एक उंगली का स्थायी कुल नुकसान कर्मशः तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत,
 - पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान कर्मशः ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बगि-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत
 - कोहनी, कूलहे या घुटने का एंक्लिसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मलेंगा ।
- इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपए का शिक्षा लाभ भी मलेंगा ।
- अनुबंधति कर्मचारी यद बैंक में वेतन खाताधारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा नःशुल्क मलेंगा । इसके अतरिकित जीरो बैलेंस खाता तथा असीमति एटीएम का उपयोग शामिल है ।